

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
॥ कार्यालय आदेश ॥

सं0सं0-04/HFA-10/2016- 318 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना दिनांक- 22/7/16

सबके लिए आवास (शहरी) HFA योजना के अधीन राज्य के 40 नगर निकायों में स्वीकृत (लाभार्थी आधारित आवास निर्माण घटक) योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश की राशि: 7344.02 लाख रू0 (General) एवं राज्यांश की राशि 2448.04 लाख रू0 अर्थात् कुल 9792.06 लाख रू0 (संतानवे करोड़ बेरानवे लाख छः हजार मात्र रू0) की राशि निम्नांकित नगर निकायों के नाम के सम्मुख अंकित राशि विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है:-

(राशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	नगर निकाय का नाम	स्वीकृत आवासों की संख्या	केन्द्रांश की विमुक्त राशि	राज्यांश की विमुक्त राशि	विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि (4+5)
1	2	3	4	5	6
01	बैरगनिया-	51	20.21	6.74	26.95
02	बखरी -	225	124.35	41.45	165.80
03	बलिया -	211	115.31	38.44	153.75
04	बढ़हिया-	98	49.44	16.48	65.92
05	बेलसण्ड -	670	395.52	131.84	527.36
06	भागलपुर-	709	351.26	177.09	468.35
07	बिहारशरीफ	396	180.79	60.26	241.05
08	बीहट	375	205.63	68.54	274.17
09	बिहियां -	100	53.52	17.94	71.36
10	चकिया	100	53.59	17.86	71.45
11	चनपटिया	75	40.97	13.66	54.63
12	छपरा	562	299.44	99.81	399.25
13	डुमरांव -	500	287.32	95.77	383.09
14	गोगरी जमालपुर-	257	147.96	49.32	197.28
15	हाजीपुर-	304	126.77	42.26	169.03
16	हिलसा -	508	290.12	96.71	386.83
17	हिसुआ -	160	82.22	27.41	109.63
18	इस्लामपुर-	40	15.77	5.26	21.03
19	झांझा -	200	107.14	35.71	142.85
20	झंझारपुर -	500	293.00	97.67	390.67
21	खगड़िया -	500	291.46	97.15	388.61
22	खगौल -	45	9.83	3.28	13.11
23	खुसरूपुर -	500	293.99	98.00	391.99
24	किशनगंज -	458	245.39	81.80	327.19
25	लखीसराय -	145	62.87	20.96	83.83
26	महाराजगंज -	808	480.32	160.11	640.43
27	मैरवा	105	58.53	19.51	78.04
28	मसौढ़ी -	304	167.21	55.74	222.95
29	मुरलीगंज -	786	462.71	154.24	616.95
30	निर्मली -	60	31.59	10.53	42.12

(57) 13/16

31	फुरवारीशरीफ	319	176.60	58.87	235.47
32	राजगीर	300	153.82	51.27	205.09
33	शिविलगंज	100	50.12	16.71	66.83
34	सहरसा ✓	1000	571.42	190.47	761.89
35	शिवहर ✓	550	321.64	107.21	428.85
36	शेरघाटी ✓	60	22.19	7.40	29.59
37	सीतामढ़ी ✓	500	288.93	96.31	385.24
38	सुल्तानगंज ✓	150	79.19	26.40	105.59
39	तेघड़ा	100	50.06	16.69	66.75
40	ठाकुरगंज	484	285.82	95.27	381.09
		<b>कुल</b>	<b>7344.02</b>	<b>2448.04</b>	<b>9792.06</b>

(संतानवे करोड़ बेरानवे लाख छः हजार मात्र रु०)

2. संबंधित नगर निकाय के नाम के सम्मुख केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल राशि जो स्तम्भ-6 में अंकित उसे आवंटित की जाती है। आवंटित राशि का उपयोग योजना के कार्यान्वयन हेतु किया जाय। किसी भी तरह का विचलन स्वीकार्य नहीं होगा।
3. योजना की पूर्णता एवं गुणवत्ता सर्वोपरि है। स्वीकृत राशि का व्यय HFA योजना के अधीन निर्गत मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर निर्गत भारत सरकार एवं विभागीय दिशा-निदेश के अनुरूप करने के लिए संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (42ए) विहित प्रपत्र में बुझा को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।
5. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016 1459

पटना, दिनांक 22/12/16

प्रतिलिपि:-उप निदेशक, बुझा/लेखापाल, बुझा, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि RTGS के माध्यम से स्वीकृत राशि संबंधित नगर निकाय के द्वारा उपलब्ध कराये गये राष्ट्रीकृत बैंक खाता में भेजने की कार्रवाई करें।

अपर सचिव-सह-निदेशक।

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

सं0सं0-04/HFA-10/16

(बिहार शहरी विकास अभिकरण)

॥ शुद्धि पत्र ॥

HFA योजना के अंतर्गत निर्गत विभागीय कार्यालय आदेश सं0-318 सह पठित ज्ञापांक-1459 दिनांक-22.07.2016 के क्रम सं0-06 पर अंकित नगर निगम, भागलपुर के सम्मुख स्तम्भ-05 में अंकित राज्यांश की राशि टंकण भूल के कारण राशि 177.09 लाख (एक करोड़ सतहत्तर लाख नौ हजार रू0 मात्र) टंकित हो गया है, जबकि सही राशि 117.09 लाख स्वीकृत है, अतएव उसे संशोधित करते हुए स्तम्भ-05 में अंकित राशि 177.09 लाख के स्थान पर 117.09 लाख (एक करोड़ सतरह लाख नौ हजार रू0 मात्र) पढ़ा जाय।

2. शेष कंडिका पूर्ववत रहेगी।

अपर सचिव-सह-निदेशक,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016

1490

पटना, दिनांक

28/7/16

प्रतिलिपि:-उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि RTGS के माध्यम से स्वीकृत राशि संबंधित नगर निकाय के द्वारा उपलब्ध कराये गये राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में भेजने की कार्रवाई करें।

अपर सचिव-सह-निदेशक।